न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 01/2021

पंजीयन दिनांकः 08.02.2021

1. भगवाना पिता लालु जाति माली निवासी ओडुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. तुलसीराम पिता हजारी जाति माली निवासी ओडुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. नन्दलाल पिता भगवानलाल जाति माली निवासी ओडुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टगण

बनाम

1. रतनलाल पिता मायाराम जाति माली निवासी ओडुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. परथु पिता मायाराम जाति माली निवासी ओडुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. मोडी पिता मायाराम जाति माली निवासी ओडुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. कंकु पिता मायाराम जाति माली निवासी ओडुन्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 333/2018 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.20

उपस्थित वक्त बहसः 1. सुरेश शर्मा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. बगदीराम धाकड़ – रेस्पोडेन्टगण–1 से 4

निर्णय **दिनांक 26.05.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण 1 से 4 के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ओडुन्द तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 359 कुंआ है। कुंआ पर आने-जाने हेतु आराजी नम्बर 363 सरकारी बिलानाम पर होकर आराजी नम्बर 367 की उत्तरी मेड पर व आराजी नम्बर 361 पर होकर आराजी नम्बर 359 कुंआ पर पहूँचते है, एवं इसी रास्ते से अपीलान्टगण प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 355,356 पर पहूँचते है। यह रास्ता 15 फीट चौडा है। इसी रास्ते से अपीलार्थीगण प्रार्थीगण अपना कृषि ऊपज, कृषि उपकरण लाते ले जाते है। इस रास्ते के अलावा

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अन्य कोई रास्ता नही है। आराजी नम्बर 362 रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के खातेदारी की है, एवं आराजी नम्बर 363 बिलानाम सरकारी भूमि है। रेस्पोडेन्टगण ने आराजी नम्बर 363 की पूर्वी सीमा से होकर आराजी नम्बर 363 व 362 के दक्षिणी सीमा पर तार वाली झाली व लडकी के पोल रोप कर लगा दी। आराजी नम्बर 363 को हांक कर रास्ता मिटा दिया। अपीलान्टगण प्रार्थीगण को आने जाने नही दिया जा रहा है। दिनांक 03.07.2018 को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया, जिससे कृषि भी नही कर पा रहे है। मौजा ओडुन्द की आराजी नम्बर 362 की उत्तरी सीमा एवं आराजी नम्बर 363 मे 15 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिकार पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात आराजी नम्बर 355, 356 पर पहूँचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना व आराजी नम्बर 362 रकबा 0.3250 हैक्टेयर मे से प्रस्तवित रास्ते की लम्बाई 60 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 0.024 हैक्टेयर जो निकटम रास्ता है। रास्ते के लिये प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने मौजा ओडुन्द की आराजी नम्बर नम्बर 362 रकबा 0.3250 हैक्टेयर मे से 0.024 हैक्टेयर को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29.10.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की जानकारी दिनांक 22.01.2021 को होना अंकित किया। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थीगण अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर स्वीकार किया है। अपील व बहस मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से तलब की जो दिनांक 20.09.2019 को रेकार्ड पर ली व दिनांक 10.02.2020 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.02.2020 को निर्णय हेतु नियत की। उसके पश्चात् निर्णय हेतु दिनांक 25.02.2020 को नियत की गई। उसके पश्चात् दिनांक 27.02.2020 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा नई मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 को पेश की गई। जिसको भी रेकार्ड पर ली जाकर उक्त रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2019 को उभयपक्षो ने राजीनामे से रास्ता कायम कर मौके पर खम्भे व झाली लगाकर रास्ता कायम कर दिया। जिसको नजर अंदाज कर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 20.02.2020 को मौका रिपोर्ट अनुसार निर्णय पारित किया गया है। विवादित कृषि आराजीयात मे आराजी नम्बर 360 एवं 362 मे पानी का बहाव क्षैत्र पश्चिम से पूर्व की ओर होकर गांव के तालाब का जलग्रहण क्षैत्र (कैचमेन्ट एरिया) होने से यदि आराजी नम्बर 362 की पश्चिमी मेड पर रास्ता कायम किया गया जिसका लेवल नीचा होने से मिट्टी डालने पर तालाब मे जाने वाला पानी इकठ्ठा होता है। आराजी नम्बर 360 मे पानी भर जायेगा जिससे यह रास्ता वर्षा ऋतु के लिये बन्द हो जायेगा। एवं तालाब मे जाने वाला पानी खेतो मे भर जायेगा। आगे यह भी निवेदन किया कि दिनांक 11.06.2019 को पर्चा मौका रिपोर्ट के अनुसार उभयपक्षो ने राजीनामे से इसमे आराजी नम्बर 362 की उत्तरी मेड पर रास्ता कायम किये जाने की सहमति प्रदान की। परन्तु उक्त रास्ते मे पानी भर जाने से बरसात के समय मे आना-जाना संभव नही हो पाने से आराजी नम्बर 362 की दक्षिणी पश्चिमी मेड पर व आराजी नम्बर 363 मे रास्ता दिया जाना उचित था। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आराजी नम्बर 362 रकबा 0.3250 हैक्टेयर मे 0.024 हैक्टेयर भूमि का रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया है, जो उचित नही होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि आराजी नम्बर 362 व 363 आपस मे लगी हुई है। आराजी नम्बर 362 खातेदारी की है व आराजी नम्बर 363 बिलानाम सरकार होकर अपने बाप-दादाओ के समय से रेस्पोडेन्टगण का कब्जा चला आ रहा है। आराजी नम्बर 362 पश्चिमी मेड पर दक्षिण से उत्तर की ओर गाडी गडार का रास्ता बना हुआ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजी नम्बर 361 आम रास्ते के पूर्वी छोर पर मिला हुआ है। उक्त रास्ते से सभी लोग कुंए पर तथा अपने-अपने खेतो पर आते-जाते है। अपने मवेशी बैलगाडी लाते-जाते है। जवाब के साथ नजरी नक्शा भी पेश किया। यह भी निवेदन किया कि आपसी भाई बन्धुओ की लडाई एवं मन मुटाव के कारण प्रार्थीगण अपीलान्टगण ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी नम्बर 362 की पश्चिम दिशा मे रास्ता दे रखा है। जिसका अपीलान्टगण उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र व सहमति के अनुसार रास्ता कायम किया। उसी के विरूद्ध अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण की अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवाक्तओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व विपक्षीगण के जवाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ दिनांक 11.06.2019 द्वारा दिनांक 13.02.2020 का अवलोकन किया गया। आराजी नम्बर 362 मे से 0.024 हैक्टेयर रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। पत्रावली मे प्रस्तुत रिपोर्ट पर्चा मौका दिनांक 11.06.2019 मे आराजी नम्बर 362 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व आराजी नम्बर 363 बिलानाम सरकार मे रेकार्ड दर्ज है। आराजी नम्बर 362 मे 60 मीटर लम्बाई 4 मीटर चौडाई व आराजी नम्बर 363 राजकीय बिलानाम भूमि मे से 80 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.0320 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित थी। उक्त रिपोर्ट मे सभी उभय पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया। उभय पक्षकारान मौके पर हाजिर रहे व आपसी राजीनामे से आराजी नम्बर 362 पर 60X4 मीटर रास्ता व आराजी नम्बर 363 मे से 80x4 वर्ग मीटर देने के लिये सहमत हुए। व आराजी नम्बर 363 मे से 80 x 4 मीटर भूमि रास्ते के लिये कमिश्नर के द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट मे अंकित की गई। तत्पश्चचात् उक्त पत्रावली मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु नियत थी। इसी दौरान कमिश्नर के द्वारा नवीन मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे आदेश के पूर्व प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट मे उभयपक्ष व मौतबीरान उपस्थित है। जिसमे आराजी नम्बर 362 रकबा 0.03250 मे से 60 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुलिया 60 x 4=240 वर्ग मीटर पर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया। उक्त रास्ता सबसे निकटतम व सुविधाजनक माना गया। कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2020 को आधार मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया जाकर आराजी नम्बर 362 मे से 60x4 रकबा 0.024 हैक्टेयर भूमि पर रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया गया है जो निकटतम सुविधाजनक न्यायोचित एवं विधिनुसार होकर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील संहवनीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रार्थीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 333/2018 निर्णय व आदेश दिनांक 29.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

26/5/2022

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)